185

संख्या : /IV(1)/2012–185(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

एम0एच0खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 12, फरवरी दिसम्बर,2013

विषयः कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत ऋषिकेश डोईवाला मार्ग के ऋषिकेश शहर में पडने वाले भाग (किमी0 1 व 2) को ऐज से ऐज तक पक्का करने संबंधी कार्य की द्वितीय एवं अन्तिम किश्त की धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–07/IV(1)/2010–185(कुम्भ)/2009 दिनांक 01.01.2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रू. 222.19 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 125.29लाख (₹ एक करोड पच्चीस लाख उनतीस हजार)मात्र की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 50.00लाख (₹ पचास लाख़)मात्र की धनराशि को व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या–103/कु.मे./लेखा/लोनिवि0 दिनांक 13 जून,2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त कार्य हेतु संस्तुत धनराशि में से वास्तविक व्यय के आधार अवशेष धनराशि ₹ 21.04 लाख (₹ इक्कीस लाख चार हजार) मात्र को ह0वि0प्रा0 के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित ब्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।

ii. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।

iii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2013 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता/मेलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

v. शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.2010 के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

vi. शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.2010 के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या–436/IV(1)/2010–39(साम0)2006– टी0सी0 दिनांक 25.03.2010 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 108.5590 करोड़ के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं.–431/XXVII(2)/2012 दिनांक 27 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव।

संख्या : 901 (1)/IV(1)/2012 तद्दिनांक। 12/2/13

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।